(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

उद्योग भवन

अधिसूचना सं. 25/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः 18 अक्तूबर, 2019

विषयः– राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) को भेजे गए मामलों के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में नए प्रावधान को शामिल करना।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :–

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 2 में एक नया पैरा सं. 2.15 क को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :

2.15 क राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अधिर्णयन की कार्यवाही के तहत आने वाली कोई भी फर्म/कंपनी विदेश व्यापार नीति के तहत किन्ही स्कीमों के अंतर्गत किसी भी बकाया निर्यात दायित्वों/देयताओं के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) और एनसीएलटी को सूचित करेगा। ब्याज के साथ कुल बकाया बचायी गयी शुल्क राशि/देय राशि, और विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माना अथवा अन्य कोई शुल्कों की उक्त फर्म/कंपनी के विरूद्ध सरकार को देय राशि के भाग के रूप में गणना की जाएगी।

अधिसूचना का प्रभावः राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे गए मामलों के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 2 में एक नए पैरा को जोड़ा गया है।

(बिद्युत बिहारी स्वैन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/94/180/019/एएम–20/पीसी–4 से जारी)